कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
उज्जैन संभाग उज्जैन

क्रमांक / उपा / वाक / स्था / 6 / 2018 / उज्जैन,दिनांक

प्रति,

आयुक्त जनसम्पर्क
मध्यप्रदेश (विज्ञापन प्रभाग)
जनसम्पर्क भवन बाणगंगा रोड भोपाल
म0प्र0 पिन–462003

विषयः– निःशक्त जनों की भर्ती के लिये विज्ञापन प्रकाशित करने बाबत्।

निवेदन है कि कार्यालय के अधीनस्थ सहायक श्रेणी–3 के रिक्त पदों की पूर्ति निःशक्तजन के अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती द्वारा किये जाने हेतु विज्ञापन इस पत्र के संलग्न प्रेषित हैं अनुरोध है कि कृपया यह विज्ञापन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों मे यथाशीघ्र प्रकाशित करने का कष्ट करें।

XXIV

संलग्न–विज्ञापन 5 प्रति में

संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
उज्जैन संभाग, उज्जैन

IX
11/06/2018

क्रमांक / उपा / वाक / स्था / 6 / 2018 / 1060 उज्जैन,दिनांक 8-6-18

प्रतिलिपिः–

1– वाणिज्यिक कर आयुक्त म0प्र0 इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2– कम्प्युटर कक्ष मुख्यालय की ओर विभागीय वेबसाईट में उक्त विज्ञापन अपलोड करने हेतु।

3– विशेष रोजगार कार्यालय (निःशक्त जनो के लिये संचालित) जबलपुर की ओर सूचनार्थ ।

4– जिला रोजगार कार्यालय उज्जैन की ओर सूचनार्थ ।

संलग्नः– विज्ञापन की प्रति

संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
उज्जैन संभाग, उज्जैन

...र्यालय वाणिज्यिक कर आयुक्त
इन्दौर (म.प्र.)
11 JUN 2018
आवक क्र. 1911 स्थ.

कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक करउज्जैन संभाग उज्जैन
तीसरी मंजिल प्राधिकरण भवन उज्जैन, (मध्यप्रदेश
दूरभाष–0734–2510284
Emai- dc. ujn@mptax.mp.gov.in

क्रमांक / उपा / वाक / स्था / 6 / 2018 / 1058 उज्जैन,दिनांक 4-6-18

नि:शक्तजनो के सहायक श्रेणी–तीन के रिक्त पदों की पूर्ति वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

नि:शक्तजनों के पदो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0	विज्ञापित पद का नाम एवं श्रेणी (नि:शक्तजन हेतु)	पदो की संख्या		आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अंतिम दिनांक	कार्याली का नाम, जहाँ आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है।
		दृष्टिबाधित	श्रवणबाधित		
1	सहायक श्रेणी–तीन लिपिक वर्गीय (तृतीय श्रेणी) कुल 2 पद	1	1	21.06.2018	कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर उज्जैन संभाग तीसरी मंजिल प्राधिकरण भवन भतरपुरी प्रशासनिक भवन उज्जैन, पिन–456010 (मध्यप्रदेश)

1. **वेतनमान–**
   सहायक श्रेणी–तीन (लिपिक वर्ग) हेतु रू0 19500/—62000/– में वेतन रूपये 19500/– व नियमानसार देय भत्ते।

2. **शैक्षणिक योग्यता:–**
   (1) लिपिकवर्गीय सहायक श्रेणी–तीन हेतु हायर सेकेण्डरी परीक्षा (पुरानी प्रणाली) या हायर सेकेण्डरी परीक्षा (10+2) में उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) में कम्प्यूटर दक्षता एवं हिन्दी टाईपिंग उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र (स्कोर कार्ड) (3) निम्नलिखित मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा उत्तीर्ण होना अनिवार्य: है:– (1) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा (2) यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा (3) डी.ओ.ई.ए. सी.सी. से डिप्लोमा स्तर की परीक्षा (4) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से मॉडर्न ऑफिस मैनेसमेंट कोर्स (5) शासकीय आई. टी.आई. द्वारा एक वर्षीय कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट (COPA) प्रमाण पत्र (4) निम्नलिखित अर्हताओ को कम्प्यूटर डिप्लोमा / डिग्री हेतु सम्मिलित किया जाता है :– (1) बी.ई. (सी.एस.ई. / आय.टी.) / एम.सी.ए. / बी.सी.ए. / एम.एससी. (आय.टी. / सी.एस.) / बी.एससी. (आय.टी. / सी.एस.) एम.टेक / एम.ई इत्यादि (2) ए.आय.सी.टी.ई. से अनुमोदित पॉलीटेक्निक डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस। कम्प्यूटर एप्लीकेशन एवं इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि।
   नोट:– बी.एससी. / बी.कॉम. / डिग्रियॉ जिनमें केवल कम्प्यूटर के एक विषय का अध्यापन सम्मिलित है, मान्य नहीं होगा।
   उपर्युक्त सभी अर्हतायें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक धारित करना अनिवार्य है।

3. **आवेदन पत्र के साथ अधोलिखित दस्तावेज एवं जानकारी संलग्न करें :–**
   (1) आवेदन पत्र ए–4 साईज के सादे कागज पर, व्यक्तिगत विवरण के साथ शैक्षणिक अर्हता सम्बंधी प्रमाण पत्र एवं अन्य सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियों की पठनीय छायाप्रतियॉ (स्व–प्रमाणित) तथा पासपोर्ट साईज के दो फोटोग्राफ। (2) मध्यप्रदेश का मूल / स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। (3) आयु सीमा– 18 से 40 वर्ष– आयु सीमा में मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार छूट का लाभ दिया जायेगा। आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2018 के आधार पर की जायेगी एवं शासन द्वारा निर्धारित अर्हताओं में छूट एवं देय सुविधाओं का लाभ प्रदाय किया जायेगा। (4) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडा वर्ग से संम्बंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्य प्रतिलिपि अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा। (5) शासन द्वारा जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड का विकलांग होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। (6) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (7) विवाह के लिये नियत की गयी न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह करने वाले आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगे। जिस आवेदक की दिनांक 26.01.2001 के बाद दो से अधिक संताने होगी, उन्हें आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। (8) आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक एवं ऊपर दिये गये कार्यालय के पते पर सीधे स्वंय अथवा पंजीयन डाक द्वारा भेजें। किसी भी स्थिति में कार्यालय में निर्धारित अंतिम दिनांक को कार्यालय समय के पश्चात प्राप्त आवेदनो पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में हुये विलम्ब को मान्य नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण भरे हुए आवेदन पत्रों का निरस्त कर दिया जायेगा।

संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर
उज्जैन संभाग, उज्जैन